न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2023	17.01.2023	26.06.2023

उनवान

1. अभयसिह झा पुत्र निलाम्बर झा जाति ब्राहम्ण निवासी सैक्टर 05 वैशाली गाजियाबाद यू0पी0

–:प्रार्थी।

बनाम

1. तहसीलदार साहब,नीमराना जिला अलवर।

:–अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्री प्राणसुख सैनी एड0 प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

दिनांक :–26.06.2023

राज पत्रावली मे पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. प्रार्थी ने यह प्रा0पत्र अतंर्गत धारा 128,111 आर0टी0एक्ट,1955 के तहत पेश किया है। जबकि आर0टी0एक्ट0,1955 की धारा 128,111 पत्थरगढी के लिए नही है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128,111 मे पत्थरगढी किए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत अधिनियम व धारा के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है,जो गलत है,परन्तु न्यायहित मे प्रार्थना पत्र को सही अधिनियम व धारा के तहत मानते हुए निर्णित किया जा रहा है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं. 2164/0.0774, 2160/0.66, 2186/0.2120 वाके ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना मे स्थित है। जिसकी सीमा ज्ञान पैमाईश दिनांक 01.06.2022 को की गई है, आराजी ख.नं. 2160/0.66 व ख.नं. 2186/0.13 का विभाजन होने के बाद ख.नं. 2263/2160/0.33, 2265/2186/0.0673 मिन प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज हो गये है,नकल जमाबंदी पेश है। प्रार्थी उक्त पैमाईश के अनुसार मौके पर पुख्ता पत्थरगढी कराना चाहता है। इसलिए सीमाज्ञान दिनांक 01.06.2022 के मुताविक पत्थरगढी कराई जावे। पैमाईश के मुताकिब पत्थरगढ़ी करने मे किसी व्यक्ति द्वारा व्यवधान डाला जावे तो पुलिस इमदाद के साथ पुख्ता पत्थरगढ़ी कराई जावे।
2. प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नाटिस तलब किया गया। अप्रार्थी वावजूद सूचना के न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।
3. वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबंदी संवत 2073–76 के अनुसार आराजी उक्त वाके ग्राम गूगलकोटा तह0 नीमराना प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थी को दिनांक 01.06.2022 को सीमाज्ञान कराया गया है। जिस सीमाज्ञान के अनुसार ही मौके पर पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतित होता है।

4. **अतः आदेश है किः–**

प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर हाल आराजी ख.नं. 2263/2160/0.33, 2265/2186/0.0673, 2164/0.0774 वाके ग्राम गूगलकोटा तह0नीमराना की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 के अनुसार कराये जाने के आदेश तहसीलदार,नीमराना को दिए जाते है। आदेश कि प्रति मय नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 तहसीलदार,नीमराना को भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

26/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

Sidd/2023